

खान अधिनियम, 1952
धातविक खान सर्वेयर / फोरमैन दक्षता प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा – 2017
धातविक खान विनियमावली, 1961 के अधीन

अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड तथा महानिदेशक खान सुरक्षा, धनबाद द्वारा अजमेर, भुवनेश्वर, **धनबाद, नागपुर, हैदराबाद एवं सीतारामपुर** केन्द्रों में फोरमैन दक्षता प्रमाण पत्र (सीमित एवं असीमित दोनों) एवं खान सर्वेयर दक्षता प्रमाण पत्र (सीमित एवं असीमित दोनों) अजमेर, **हैदराबाद एवं सीतारामपुर** हेतु धातविक खान विनियमावली, 1961 के अंतर्गत परीक्षाएं जनवरी, 2018 में ली जाएंगी। परीक्षाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित अनुसार है : -

परीक्षाओं का कार्यक्रम

परीक्षा तिथि	प्रातः कालीन सत्र परीक्षा का नाम एवं विषय/पत्र	अपराह्न सत्र परीक्षा का नाम एवं विषय/पत्र
27.01.2018	1. फोरमैन असीमित परीक्षा 2. सर्वेयर असीमित प्रथम पत्र	सर्वेयर असीमित द्वितीय पत्र
28.01.2018	फोरमैन सीमित परीक्षा	सर्वेयर सीमित परीक्षा

शुल्क:- (i) सर्वेक्षक/फोरमैन दक्षता परीक्षा -₹ 50/- सभी बैंक ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा डी. जी. एम. एस., धनबाद के पक्ष में भुगतें। धातविक खान विनियमावली, 1961 के रेग्युलेशन 15 तथा 17 एवं संबंधित उपनियमों के अंतर्गत निर्धारित अर्हताएं एवं खानों में व्यवहारिक अनुभव जिन्हें नहीं है एवं जिन्हें अन्यथा छूट हो उनको छोड़कर जिनके पास मान्य प्राथमिक उपचार, माइनिंग मेट तथा गैस जांच प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र की वैधता कम-से-कम परीक्षा की निर्धारित तिथि तक होनी चाहिए। **औपबंधिक प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।** धातविक खान विनियमावली, 1961 के रेग्युलेशन 17 के अंतर्गत निर्धारित व्यवहारिक अनुभव तथा तत्संबंधित संलग्न शर्तें आवश्यक उपनियमों के अंतर्गत निम्नांकित है : -

परीक्षा की योजना	पात्रता की शर्तें एवं योग्यतायें	व्यवहारिक अनुभव
सर्वेक्षक दक्षता परीक्षा		
(i) सीमित/असीमित	(i) सीनियर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र।	2 वर्ष (कम-से- कम 6 महीने का अनुभव भूमिगत एवं ओपेन कास्ट खान में
	(i) अभियन्त्रण में डिप्लोमा या सीनियर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र तथा एन.टी.सी.	कम-से- कम 6 महीने का अनुभव भूमिगत एवं ओपेन कास्ट खान में कमशः
फोरमैन दक्षता परीक्षा		
(i) सीमित/असीमित	सीनियर सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष प्रमाण पत्र जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।	निर्धारित आवश्यक अनुभव सहित माइनिंग मेट प्रमाण पत्र

नोट:- अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने वाले मनोनकूल योजना तथा पत्रों का नाम तथा संख्या का उल्लेख करना है। आवेदन पत्र निदेशक (परीक्षा) एवं सचिव, खनन परीक्षा बोर्ड, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद - 826001 के कार्यालय से स्वपता लिखित लिफाफा (आकार 22 सेमी x 10 सेमी) भेजकर या www.dgms.gov.in वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए : (i) विधिवत भरा हुआ विहित आवेदन पत्र में हाल का खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाया जाना चाहिए (ii) **चिकित्सा, चरित्र एवं व्यवहारिक अनुभव प्रमाण पत्र (जिसे केवल मूल में ही होना चाहिए) को छोड़कर अन्य सभी प्रमाणपत्रों, कागजातों की अभिप्रमाणित फोटो प्रतियां स्वीकार्य होगी।** इन प्रमाण पत्रों/कागजातों का मूल (ओरिजनल) मौखिक परीक्षा के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा (iii) 22 सेमी x 10 सेमी आकार का दो स्वपता लिखित लिफाफा (प्रत्येक पर ₹ 40/- का टिकट चिपकाया हुआ) एवं **चार अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का अभिप्रमाणित फोटो जिसपर सामने की तरफ नाम लिखा हुआ हो।** आवेदन केवल निबंधित डाक द्वारा ही भेजा जाना चाहिए। हाथों-हाथ या व्यक्तिगत सुपुर्दगी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। **वैसे आवेदनों को जो निर्धारित प्रपत्र में विधिवत भरे हुए नहीं रहेंगे तथा जिनके साथ आवश्यक कागजात संलग्न नहीं किया रहेगा उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।** सभी पुराने तथा नये अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र रद्द होने से बचने के लिए आवेदन के साथ आवश्यक कागजात जमा करने होंगे। **बाद में कोई कागजात स्वीकार्य नहीं होंगे।** विहित प्रपत्र में आवेदन सभी आवश्यक प्रमाण पत्र/ कागजातों के साथ **निदेशक (परीक्षा) एवं सचिव, खनन परीक्षा समिति, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद - 826 001 (झारखण्ड)** को केवल निबंधित डाक से भेजा जाना चाहिए ताकि **27.11.2017 (5 pm) या उससे पहले** पहुंच जाए। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में डाक पारगमन में देर से प्राप्त या पत्र व्यवहार की क्षति हेतु खनन बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहेगा।

विशेष :-

(i) ऐसे प्रार्थी जिन्होंने पूर्व में उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन किया था वे अपना आई.डी. नंबर तथा रोल नंबर परीक्षा के वर्ष के साथ आवश्यक रूप से अंकित करें।

(ii) परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, पेजर या कोई भी संचार साधन लाने की अनुमति नहीं है। किसी प्रकार का उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ अभ्यर्थिता निरस्त तथा खनन परीक्षा समिति द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में आगामी तीन वर्षों के लिए रोक लगा दिया जाएगा।

THE MINES ACT, 1952
EXAMINATIONS FOR THE METALLIFEROUS MINES
SURVEYOR'S/ FOREMAN'S CERTIFICATE OF COMPETENCY - 2017
UNDER THE METALLIFEROUS MINES REGULATIONS, 1961

The Chairman, Board of Mining Examinations and Director General of Mines Safety, Dhanbad is holding examinations in January 2018 at **Ajmer, Bhubaneswar, Dhanbad, Nagpur, Hyderabad & Sitarampur** centers for Foreman's Certificate of Competency (both Restricted and Un-restricted type) and at **Ajmer, Hyderabad & Sitarampur** for Surveyor's Certificate of Competency (both Restricted and Un-restricted type) under the Metalliferous Mines Regulations, 1961. The brief particulars of examinations are as under:

SCHEDULE OF EXAMINATIONS

Date of Examination	MORNING SESSION Name and Subject/ Paper of examination	AFTERNOON SESSION Name and Subject/ Paper of examination
27.01.2018	(i) Foreman's (UR) Exam (ii) Surveyor's (U/R) Exam. 1 st paper	(i) Surveyor's (UR) Exam. IInd paper
28.01.2018	(i) Foreman's (R) Exam	(i) Surveyor's (R) Exam.

FEES: Surveyor's Certificate/Foreman's Certificate of Competency examination Rs.50/- all by Bank Draft/ Indian Postal Order payable to DGMS at Dhanbad. None need apply who does not possess qualifications & practical experience in mines as prescribed under Regulation 15 & 17 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 read with relevant bye-laws and who does not hold valid First Aid, Mate's and Gas-testing certificate unless exempted otherwise. The validity of First Aid certificate should extend to a date, which is not earlier than the date of the examination. **No provisional First Aid certificate shall be accepted.** Practical experience prescribed under Regulation 17 of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 and conditions attached therewith under relevant bye-laws are as below:

Scheme of Examination	Eligibility conditions & Qualifications	Practical Experience
SURVEYOR'S EXAMINATION		
1) Restricted/Un-restricted	(i) Senior Secondary School Certificate or it's equivalent	2 years (at least 6 months experience in OC & UG mines respectively)
-do-	(i) Diploma in Engineering OR (ii) Senior Secondary School Certificate or its equivalent certificate & NTC	At least 6 months experience in OC/UG mines respectively
FOREMAN'S EXAMINATION		
1) Restricted/Un-restricted	Senior Secondary School certificate of recognised Board or its equivalent Certificate approved by the Govt. of India.	Mate Certificate with relevant experience as prescribed.

Note: Candidates are required to mention the scheme and name and number of paper(s) he wishes to appear in. Application forms should specifically be obtained either from the office of

THE DIRECTOR OF MINES SAFETY (EXAMS) & SECRETARY, BOARD OF MINING EXAMINATIONS, DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY, DHANBAD-826001 (JHARKHAND) by sending a self-addressed envelope (size 22 cm x 10 cm) or can be down loaded from the website www.dgms.gov.in.

Every application form should be accompanied by: (i) The prescribed form duly filled in with recent attested passport size photographs affixed at the space provided therein. (ii) **DULY ATTESTED/SELF ATTESTED PHOTOCOPIES OF ALL CERTIFICATES SHALL BE SUBMITTED. HOWEVER, MEDICAL, CHARACTER AND PRACTICAL EXPERIENCE CERTIFICATES SHALL BE SUBMITTED IN ORIGINAL ONLY.** Other original certificates/ documents shall be required only at the time of ORAL EXAMINATIONS. (iii) Two self-addressed, stamped (**Rs.40/- each**) envelopes of size 22 cm x 10 cm enclosing **four** additional passport size attested photographs **with name written clearly on front side**. THE APPLICATIONS WILL BE RECEIVED BY POST ONLY AND NOT BY HAND/ PERSONAL DELIVERY. Applications, which are not properly filled in, and are not accompanied by the required documents, shall stand rejected without any reference. All old and new candidates must submit all required documents alongwith the application to avoid rejection. **NO DOCUMENT SHALL BE ACCEPTED LATER.** Application form alongwith all required certificate/ documents should be sent to **THE DIRECTOR OF MINES SAFETY (EXAMS) & THE SECRETARY, BOARD OF MINING EXAMINATIONS, DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY, DHANBAD-826001 (JHARKHAND) BY REGISTERED POST ONLY SO AS TO REACH ON OR BEFORE 27th November 2017 (5 pm)**. Applications received after the prescribed last date will be summarily rejected. The Board takes no responsibility for any delay in receipt or loss of any communication in postal transit during entire examination process.

NB: (i) Applicants who had appeared earlier in similar examinations shall mention the ID Number and Roll Number with the year of last examination without fail.

(ii) Mobile Phone, Pagers or any other communication devices are not allowed inside the premises where the examination is being conducted. Any infringement shall entail disciplinary action including cancellation of candidature and debarment for three years from future examinations conducted by BME.